पत्रांक : 2916 /आयु0क0उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2015–16/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्तकरउत्तराखण्ड।

(धारा–57, अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 03 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2015

प्रार्थनापत्र संख्या – 07/12.06.2015

द्वारा – सर्वश्री दिव्य गंगा हर्बल्स, शिवानन्द नगर, रामझूला, मुनीकी रेती, ऋषिकेश।

उपस्थिति – श्री जे0के0ग्रोवर, अधिवक्ता फर्म

निर्णय कादिनांक – अगस्त, 2015

उत्तराखण्डमूल्यवर्धितकरअधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गतनिर्णय

सर्वश्री दिव्य गंगा हर्बल्स, शिवानन्द नगर, रामझूला, मुनीकीरेती, ऋषिकेश द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वैद्यरत्नम पी. एस. वैरियर की आर्य वैद्यशाला केरल द्वारा उत्पादित एलादि केरतैलम एवं धान्वन्तरं तैलम (अस्टांगाहृदयम) आदि पर कर की दर स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है। प्रार्थना पत्र में इन्हें आयुर्वेदिक दवा कहा गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या प्राप्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की गयी है :–

" वैट अधिनियम 2005 के अनुसूचित (ii) (B) में दिनांक 20.01.2015 से कमांक 41 में संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रख्यादित किया गया है।

41. ड्रग्स एवं औषधियाँ, चाहे पेटेन्ट हो या साम्पत्तिक, जैसा कि ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 (केन्द्रीय अधिनियम 23, 1940) की धारा 3 (क) अथवा धारा 3 (ख) के खण्ड(i), (ii), (iii) एवं ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 2(घ घ) में परिभाषित है, जिसमें वैक्सीन, हाईपोडरमिक सिरिंजेज, हाईपोडरमिक निडिल, अन्त्र–रज्जु, टांका (घाव सीने का धागा), शल्यक रूई, पट्टियाँ, प्लास्टर्स, कैथरटर्स, कैन्यूले, बैन्डेजेज़, औषधिक मल्हम, जो ड्रग लाईसेन्स के अधीन उत्पादित हो, आई0पी0 श्रेणी का हल्का पैराफिन एवं इसी प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं, किन्तु निम्नलिखित औषधियुक्त वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं–

(i)सभी प्रकार का तेल
(ii)टूथपेस्ट, टूथपाउडर और अन्य दन्त मंजन
(iii)साबुन
(iv)शैम्पू
(v)कॉस्मेटिक्स एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स
(vi)टेलकमपाउडर
(vii)मच्छर विकर्षक, किसी भी रूप में

इससे पूर्व समस्त प्रकार के ड्रग्स एवं औषधियों पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय था परन्तु उक्त संशोधन के पश्चात् (i) से (vii) तक उल्लिखित वस्तुओं को उपरोक्त प्रविष्टि से बाहर कर दिया गया है। जिससे इनकी बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है।"

धारा–57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री जे0के0ग्रोवर, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि वे वैद्यरत्नम पी0एस0 वैरयिर की आर्य वैद्यशाला,

कोट्टककाल, केरल द्वारा उत्पादित दवाओं एलादि केरतैलम एवं धान्वन्तरं तैलय जैसी आयुर्वेदिक दवाओं में संव्यवहार करते हैं। उनके द्वारा उल्लिखित किया गया कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 96/2005/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 20.01.2015 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या 41 को संशोधित करते हुए उक्त अनुसूची से विभिन्न औषधि युक्त वस्तुओं को बाहर किया गया है, जिससे उन वस्तुओं पर कर की देयता 13.5 प्रतिशत हो गई है, उपस्थित फर्म प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आयुर्वेदिक दवा के रूप में तेल के नाम से ही बिक्री की जाती है जबकि वास्तव में इसके अवयव (Ingredients) आयुर्वेदिक दवा के ही होते हैं तथा बिक्री किए जा रहे तेल का प्रयोग भी दवा के रूप में ही किया जाता है। केरल पद्धति में तेल का प्रयोग मानव अंगों की शिथिलता एवं बीमारी को दूर करने के लिए ही होता है। अतः उक्त आधारों पर केरल प्रान्त की आयुर्वेदिक पद्धति में निर्मित तेल को 5 प्रतिशत की दर से कराधेय माने जाने का अनुरोध किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रस्तुत मत एवं सुनवाई के समय प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचार किया गया।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 96/2005/181(120)/ XXVII(8)/08 दिनांक 20.01.2015 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या 41 को संशोधित किया गया है।

दिनांक 20.01.2015 को जारी उपरोक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि सभी प्रकार का तेल, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और अन्य दन्त मंजन, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स, टेलकम पाउडर, मच्छर विकर्षक, किसी भी रूप में औषधियुक्त वस्तुएं होते हुए भी उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–41 से आच्छादित नहीं हैं।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र में इंगित वस्तु "सभी प्रकार के तेल" के औषधि युक्त होने के उपरान्त भी दिनांक 20.01.2015 से प्रविष्टि संख्या 41 में विशेष रूप से औषधि युक्त वस्तुओं को Exclude करने पर इन्हें उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं माना जा सकता है तथा सन्दर्भित वस्तु के उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी अन्य प्रविष्टि से आच्छादित नहीं होने के कारण इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर देयता होगी।

तद्नुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2916 / दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।

3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, गढ़वाल जोन, देहरादून / कुमाँऊ जोन, रुद्रपुर।

4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

5– समस्त ज्वाइन्टकमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।

8– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

09– आई0टी0 अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।

12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।

14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

15– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड